<u>विधानसभा / महत्वपूर्ण</u>

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 81 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 647 तारांकित द्वारा श्री राजेश मूणत, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 647 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03.07.2025 तक** ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 82 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक का दुरूपयोग करने वाले राशन दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **647**) **श्रीराजेश मूणत**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 4 मार्च 2025 तारांकित प्रश्न 19 (क्र. 89) के उत्तर में यह बताया गया था कि माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का दुरूपयोग करने वाले जिन उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरूद्ध आर.आर.सी. वसूली की कार्रवाई शेष है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर आर.सी.सी. वसूली शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संचालक खाद्य ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2025 द्वारा निर्देश जारी किए हैं ? यदि हाँ तो कृपया बतावें प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों से आर.आर.सी. वसूली हो चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बचत स्टॉक का दुरूपयोग करने वाले राशन दुकान संचालकों के प्रकरणों का निराकरण फास्ट ट्रेक आधार पर करने का निर्देश जारी नहीं किये जाने के क्या कारण है ? (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कृपया स्पष्ट करें कि किस नियम के तहत बचत स्टॉक का दुरूपयोग करने वालो को केवल राशि वसूल कर छोड़ा जाता है ? उनके विरूद्ध एफ.आई.आर नहीं किए जाने के क्या कारण है ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

समस्त कले०